भारत सरकार

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1866

जिसका उत्तर 31.07.2025 को दिया जाना है

नए राष्ट्रीय राजमार्गों पर सड़क सुरक्षा उपाय

1866. श्री कीर्ति आज़ाद:

क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नए राष्ट्रीय राजमार्गों पर सड़क सुरक्षा के लिए अलग से बुनियादी ढाँचा विकसित किया जा रहा है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या इस पहल के अंतर्गत क्रैश बैरियर, साइनेज बोर्ड और फुट ओवर ब्रिज जैसी संरचनाओं को शामिल किया गया है तथा यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) ऐसी पहलों से दुर्घटनाओं की संख्या पर क्या प्रभाव पड़ता है?

उत्तर

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री

(श्री नितिन जयराम गडकरी)

(क) से (ग) राष्ट्रीय राजमार्ग (एनएच) कार्य भारतीय सड़क कांग्रेस के मानकों, दिशा-निर्देशों, मैनुअल, कार्य प्रणाली संहिता के साथ-साथ सड़क एवं पुल निर्माण कार्यों के विनिर्देशों के अनुसार किए जाते हैं। डिजाइन, निर्माण, संचालन और अनुरक्षण के चरणों के दौरान आवश्यक सड़क सुरक्षा उपायों में क्रैश बैरियर, साइनेज बोर्ड, फुट ओवर ब्रिज आदि का प्रावधान शामिल है। इसके अतिरिक्त, सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी राष्ट्रीय राजमार्गों के डिज़ाइन, निर्माण, राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं के उद्‌घाटन-पूर्व चरण के साथ-साथ मौजूदा राष्ट्रीय राजमार्गों के नियमित सुरक्षा लेखापरीक्षा के लिए दिशानिर्देश जारी किए गए हैं। यद्‌यपि सड़क सुरक्षा बढ़ाने के लिए अपनाए गए विभिन्न उपाय निश्चित रूप से दुर्घटनाओं की दर में कमी लाने में सहायक होते हैं, तथापि नवनिर्मित राजमार्गों के संबंध में ऐसी कमी की दर का आकलन करना कठिन है।

*****